[illegible]

30.5.24 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 11/2015

तारीख दायरा 23.02.2015

उनवान

यशवन्त कुमार पुत्र माणकचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बपावर कलां तहसील सांगोद जिला कोटा।

—प्रार्थी

बनाम

1. सुबोध सिंह राजपूत रेन्जर वन विभाग रेन्ज कनवास जि० कोटा।
2. सतीश गौतम सहायक वनपाल वन विभाग बपावर कलां।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

— अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. एक्ट 1955 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :—

दिनांक :—

श्री किशोरी लाल चौधरी (वकील प्रार्थी)

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील अप्रार्थीगण)

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि—

- प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बपावर कलां पटवार हलका बपावरकलां तहसील सांगोद में खाता स० नई 385 के खसरा न0 977 की 0.49 हेक्टर एवं खसरा न0 979 की 1.72 हेक्टर कुल 2 किता की कुल 2.21 हेक्टर आराजी स्थित है।

Scanned with OKEN Scanner

- प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की खसरा न0 977 की 0.49 हेक्टर व खसरा न0 979 की 1.72 हेक्टर आराजी दोनों ही एक चक के रूप में स्थित है। चूंकि प्रार्थी स्वयं काश्त नहीं करके मुनाफे काश्त पर देता रहा है, कभी स्वयं भी काश्त करता रहा है, प्रार्थी द्वारा अपने खाते की आराजी पर पेड पोधे भी लगा रखे है। जिनकी देखभाल व सुरक्षा आदि भी प्रार्थी ही करता चला आ रहा है, जो वर्तमान में काफी बडे हो चुके है।

- प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की खसरा न0 977 की 0.49 हेक्टर आराजी के लगवा ही अप्रार्थीगण की खसरा न0 975, 976 वन विभाग की आराजी स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा विभाग की योजना अनुसार चारदीवारी का कार्य किया जा रहा था, जो प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की खसरा न0 977 की 0.49 हेक्टर आराजी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर करीब 0.46 हेक्टर आराजी को दबाते हुए नीव खोदकर दीवार बनाना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी को दिनांक 30.3.2011 को की गई, जिसमें प्रार्थी द्वारा अपने खाते व कब्जे काश्त की खसरा न0 977 में जबरन पक्की दीवार नहीं बनाने का निवेदन किया और वनपाल नाका बपावर कलां को बिना पैमाइश करवाये चार दीवारी नहीं करने को कहा गया और जिस दीवार को आप बना रहे हो, वह मेरे खाते व कब्जे काश्त की आराजी है, परन्तु अप्रार्थीगण ने जबरन खसरा न0 977 की 0.46 हेक्टर दक्षिणी पश्चिमी आराजी पर दीवार बना दी।

- प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सांगोद को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 977 की 0.46 हेक्टर की हलका पटवारी पटवार मण्डल बपावर कलां से पैमाइश करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर तहसीलदार सांगोद द्वारा आदेश करके दिनांक 07.06.2011 को पैमाइश की गई, जिसमें उत्तर की तरफ की दीवार वन विभाग द्वारा की गई, जिसकी लम्बाई 163 मीटर है तथा पश्चिम की दीवार 77 मीटर है तथा दक्षिण की तरफ की दीवार 101 मीटर तथा 27 मीटर है, पूरब गेट की तरफ की चौडाई 33 मीटर है, जिसके अनुसार वन विभाग के खाते में 0.65 हेक्टर है, जबकि वन विभाग द्वारा 111 एयर पर दीवार बना रखी है। इस प्रकार वन विभाग द्वारा 0.46 हेक्टर आराजी प्रार्थी के खाते की भूमि पर पक्की बाउन्ड्री बना ली गई है, जो अवैध है और वादी के मना करने के बाद भी जबरन बनायी गई है। उसके बाद प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिये गये, परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की आराजी पर से कब्जा नहीं हटाया और अब शेष बची खसरा न0 977 की

Scanned with OKEN Scanner

0.03 हेक्टर भूमि पर उत्तरी पश्चिमी तरफ भी नीव खोदकर दीवार बनाने पर आमादा है।

- प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 12.4.2011 को एक रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया जा चुका है और प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की 0.46 हेक्टर आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये हुए है तथा उसके बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा अभी तक प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर बनायी गई पक्की दीवार को नहीं हटवाया गया है और नोटिस प्राप्ति के बाद भी अभी 8 दिन पूर्व अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा जबरन वादी के खाते व कब्जे काश्त की खसरा न0 977 की 0.03 हेक्टर आराजी पर भी कब्जा करने की नियत से दीवार बनाने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थी न0 1, 2 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि उक्त उनवान के वाद के साथ प्रार्थना पत्र बाबत चाहने अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे।
- अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद सादर पारित फरमायी जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की शेष बची खसरा न0 977 की 0.03 हेक्टर आराजी माल ग्राम बपावर कलां मे प्रार्थी के शांति पूर्वक काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत, बाधा कारित नहीं करे, किसी प्रकार की क्षति, नुकसान आदि कारित नहीं करे, उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और ना ही अपने किसी नौकर, एजेन्टों आदि से करावे।

- उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 3 का जवाब अप्राप्त है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसके तथ्य निम्न प्रकार है –

- विवादग्रस्त स्थान पर अप्रार्थीगण की नर्सरी सन 1989 से पूर्व से बनी हुई है। पूर्व में वहां तार की फेन्सिंग थी तथा 1989 से बाउन्ड्रीवाल बना ली गई थी, जो पक्की बनाई हुई है, उसको लगभग 25 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। प्रार्थी के कब्जा प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है। प्रार्थी का वाद बेरून मियाद है, जिसमें किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नही हो सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

- विवादित स्थान का सार्वजनिक हित में वन विभाग की वर्षों से नर्सरी बनी हुई है, यदि उसके सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो अप्रार्थीगण एवं आम जनता को काफी नुकसान होगा।
- अप्रार्थीगण को पैमायश करने की कोई सूचना नहीं दी गई, अप्रार्थीगण की लाईल्मी में की गई पैमायश से अप्रार्थीगण सहमत नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
- जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया।
- मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवश्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट में वन विभाग के किसी भी अधिकारी/कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट वन विभाग के कार्मिकों की अनुपस्थिति में तैयार की गई थी। प्रार्थी की आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध बाउण्ड्री वाल बनाया जाने एवं उक्त बाउण्ड्रीवाल वर्षों पुरानी होने के कारण प्रार्थी की कब्जा प्राप्त होने की मियाद समाप्त हो जाने संबंधित तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में मौका रिपोर्ट एवं जवाब सरकार प्राप्त कर

Scanned with OKEN Scanner

तनकीवार साक्ष्य लिया जाकर ही संभव है। इस कारण वर्तमान में प्रकरण प्रार्थी के लिए प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार हैं, परन्तु वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। इस कारण वर्तमान में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल नहीं है। कब्जे का निर्धारण दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने स्वयं की आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा पक्की बाउण्ड्री वाल निर्मित करना व्यक्त किया गया है, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा विगत 25 वर्षों से बाउण्ड्री वाल बनी होना व्यक्त किया गया है। उक्त तथ्य के खण्डन में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज, साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्षों पुरानी बाउण्ड्री वाल बनी होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी की आराजी पर लगभग 25 वर्ष पूर्व वन विभाग द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया तथा प्रार्थी द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

ाफी लम्बा समय गुजरने के उपरान्त न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान भी अप्रार्थीगण द्वार प्रार्थी की आराजी में किसी प्रकार से बाधा, मदाखलत मजावत करने के बंध में प्रार्थी द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मला नहीं बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की भावना नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाना योग्य पाया ाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्वीकार कर खारिज कया जाता है।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner